ए वी. 15029/006/2008-एएस-

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

****

"बी" ब्लॉक, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली - 110003.
दिनांक: 08 .03.2011

सेवा में,

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, [बीसीएएस]
[ध्यानार्थ: श्री जी.एस.मलही, (सीओएससीए),
जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली।

विषय: बीसीएएस के अधिकारियों के रोटेशन/स्थानांतरण की नीति का निरूपण।

महोदय,

मुझे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिदेशों सहित पत्र संख्या 98/वीजीएल/60 दिनांक 15.4.1999 और 2.11.2001 और पत्र संख्या 004/विजीएल/90 दिनांक 1.5.2008 का संदर्भ लेने के लिए निदेशित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है की संवेदनशील पदों एवं संस्थानों पर कार्यरत अधिकारियों को हर 2/3 वर्षों में रोटेशन किया जाना चाहिए और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिदेशों को लागू करने के लिए यह निर्णय लिया गया है की निम्नलिखित रोटेशन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यरत अधिकारियों पर लागू किया जाएगा।

(i) किसी भी स्टेशन में एक विशेष पद पर एक अधिकारी का कार्यकाल 3 का वर्ष होगा।
(ii) वरिष्ठ उप-सीओएस(सीए)/उप-सीओएस(सीए) के मामले में एक अधिकारी का संयुक्त कार्यकाल एक विशेष स्टेशन (दिल्ली को छोड़कर) में पांच वर्ष का होगा।
(iii) सहायक सीओएस(सीए) के मामले में एक विशेष स्टेशन (दिल्ली को छोड़कर) में एक अधिकारी का संयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष का होगा।
(iv) सुरक्षा अधिकारी/ उप-निरीक्षक के मामले में किसी विशेष स्टेशन में एक अधिकारी का संयुक्त कार्यकाल 7 वर्ष का होगा।
(v) पदोन्नति पर, उप निरीक्षक और उच्च पद के अधिकारी को उस स्टेशन से बाहर तैनात किया जाएगा जहां वह वर्तमान में तैनात है।
(vi) यदि किसी अधिकारी के सेवानिवृत्ति के केवल 2 वर्ष बचे हो, उसे जहां तक संभव हो दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

(vii) इन दिशानिदेशों के उद्देश्य के लिए, दिल्ली के क्षेत्रीय मुख्यालयों और बीसीएएस मुख्यालयों में पोस्टिंग को दो अलग कार्यालय माना जाता है। वरिष्ठ उप.सीओएस सीए/उप.सीओएस सीए/अपर सीओएस सीए और दिल्ली के सुरक्षा अधिकारी के मामले में संयुक्त कार्यकाल 7 वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

(viii) क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक पोस्टिंग के बाद, अधिकारियों को बीसीएएस मुख्यालय में जहां तक संभव हो तैनात किया जाएगा।

(ix) सहायक .सीओएससीए और इसके बाद के स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण इस मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।

(x) उपरोक्त उद्देश्य के लिए, एक अधिकारी का संयुक्त कार्यकाल का अर्थ उसके सम्पूर्ण गैर राजपत्रित और राजपत्रित पदों/वेतन मान के कार्यकाल से होगा ।

(xi) नई नीति लागू की जाएगी और स्थानान्तरण नए स्थानांतरण सत्र (अप्रैल -मार्च) से शुरू होगा और अधिकारियों का सत्र के प्रारंभ मे स्थानातरण किया जाएगा।

2. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के आयुक्त द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित रोटेशन/स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी और निश्चित रूप से 23 मार्च 2011 तक कारवाई की रिपोर्ट मंत्रालय को दी जाएगी।

3. यह सर्क्युलर माननीय नागर विमानन मंत्री के अनुमोदन से जारी करता है।

(एस.गौरी शंकर)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 24610374